उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-83/2020/1208/92-2-20-40एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 09 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

डी0एन0 पॉलीटेक्निक कालेज, मेरठ में निर्माण कार्यो में हुयी अनियमितता के संबंध में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16-01-2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी टी0ए0सी0 जॉच आख्या के परीक्षणोपरान्त दि0 19-07-2018 को रिस्पॉसिव पाये गये निविदादाता को स्वीकृत पत्र जारी करने के उपरान्त नियमानुसार 15 दिवस के अंदर समस्त औपचारिकतायें पूरी करते हुये अनुबंध गठनकर दिया जाना चाहिये था, किन्तु श्री अजय सिंघल, अधीक्षण अभियंता द्वारा ऐसा न करके दि0 19-07-2018 को स्वीकृत पत्र जारी करने के काफी समय बाद प्राप्त शिकायतों पर अपने स्तर से कोई जॉच/कार्यवाही किये बिना एवं संबंधित ठेकेदार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही पुन: निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी, जिसमें यदयपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी, परन्तु श्री सिंघल द्वारा प्रथम काल की निविदाओ को नियमानुसार निरस्त किये बिना ही पुन: निविदायें आमंत्रित की गयी, जिसके लिये उनको प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-213/92-2-20-40एम/2018 दिनांक 13-02-2020 द्वारा श्री अजय सिंघल, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ का उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 20-06-2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री अजय सिंघल, कार्यदायी संस्था डी0एन0 पॉलीटेक्निक कालेज, मेरठ द्वारा ठेकेदार से कार्य न कराने के कारण दूसरी निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसके लिये श्री सिंघल उत्तरदायी नही है। अतएव श्री अजय सिंघल, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 13-02-2020 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-83/2020/1208/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री अजय सिंघल, अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-मेरठ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in